

घोषणा का प्रपत्र उस व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं) द्वारा भरा जाना चाहिए, जिसका कोई परमनेन्ट अकाउंट नंबर नहीं हो और जो नियम 114बी में निर्दिष्ट किसी लेनदेन में प्रविष्ट होता है।

1. प्रथम नाम										मध्यम नाम/उपनाम (कृपया शब्दों के बीच एक स्थान खाली छोड़ें)													
2. पिता का प्रथम नाम (व्यक्ति होने की स्थिति में)										मध्यम नाम/उपनाम (कृपया शब्दों के बीच एक स्थान खाली छोड़ें)													
3. जन्मतिथि/घोषणाकर्ता का संयोजन										दि	दि	मा	मा	व	व	व	व						
4. फ्लैट/रूम नं. एवं परिसर का नाम																							
5. ब्लॉक या रोड का नाम/नं.										6. क्षेत्र													
7. कस्बा/नगर										8. जिला													
9. राज्य										10. पिन													
11. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)										12. मोबाइल नं.													
13. लेनदेन की राशि (₹)										(₹)					14. संयुक्त नामों से लेनदेन होने की स्थिति में, लेनदेन में संलग्न व्यक्तियों की संख्या								
15. लेनदेन का दिनांक					दि	दि	मा	मा	व	व	व	व											
16. लेनदेन का माध्यम: (कृपया संबंधित स्थान पर निशान लगाएँ)					<input type="checkbox"/> नकद, <input type="checkbox"/> चेक, <input type="checkbox"/> कार्ड, <input type="checkbox"/> ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, <input type="checkbox"/> ऑनलाइन ट्रांसफर, <input type="checkbox"/> अन्य																		
17. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)																							
18. यदि पैन के लिए आवेदन किया हो और वह अब तक बना नहीं हो, तो आवेदन की तिथि और प्राप्ति नंबर प्रविष्ट करें.										दि	दि	मा	मा	व	व	व	व						
19. अगर पैन के लिए आवेदन नहीं किया हो, तो उपरोक्त लेनदेन किए जाने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 64 के अनुसार जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे आदि की आय शामिल हो) लिखें.																							
ए)	कृषि आय (₹)																						
बी)	कृषि आय के अतिरिक्त अन्य (₹)																						
20. पहचान के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण (कृपया पीछे दिए गए निर्देश देखें)					दस्तावेज का कोड					दस्तावेज पहचान संख्या					दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता								
21. पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण (कृपया पीछे दिए गए निर्देश देखें)					दस्तावेज का कोड					दस्तावेज पहचान संख्या					दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता								

सत्यापन

मैं, _____ एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो भी व्यक्त किया गया है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई परमनेन्ट अकाउंट नंबर नहीं है और मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 64 के अनुसार जीवनसाथी, अवयस्क बच्चे आदि की आय शामिल है) जिसकी गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें उपरोक्त लेनदेन किया जा रहा है, उस अधिकतम राशि से कम होगी जो कर के लिए भारत योग्य नहीं है।

आज _____ दिनांक _____, 20 _____ को सत्यापित।

स्थान: _____

(घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर)

टिप्पणी:

- इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को इस बात के लिए स्वयं की संतुष्टि कर लेना चाहिए कि इस प्रपत्र में दी गई जानकारी सत्य, सही एवं सभी पहलुओं से संपूर्ण है। इस घोषणा में गलत वक्तव्य करने वाला व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 277 के अनुसार अभियोग का जिम्मेदार होगा और दोषसिद्धि होने पर दंड का भागी होगा -
 - ऐसे मामले में, जहाँ बचाया गया कर पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो, कठोर कारावास जो छः माह से कम का नहीं होगा और जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थदंड सहित;
 - किसी अन्य मामले में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा और जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थदंड सहित।
- घोषणा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी, जहाँ मद 19बी में संदर्भित प्रकृति की आय की राशि उस अधिकतम राशि से अधिक हो, जो कर के लिए भारत योग्य नहीं है, जब तक कि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया हो और कॉलम 18 को उपयुक्त रूप से पूर्ण नहीं किया गया हो।

निर्देश:

(1) दस्तावेज, जिन्हें पहचान एवं पते के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है (यदि पेन के लिए आवेदन किया गया हो और मद 17 को पूर्ण किया गया हो, तो आवश्यक नहीं) :-

क्रमांक	दस्तावेज की प्रकृति	दस्तावेज का कोड	पहचान का साक्ष्य	पते का साक्ष्य
ए.	व्यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए			
1.	आधार कार्ड	01	हाँ	हाँ
2.	बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, जिसमें व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	02	हाँ	हाँ
3.	चुनावकर्ता का फोटो पहचान पत्रक	03	हाँ	हाँ
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली पत्रक जिसमें व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	04	हाँ	हाँ
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हाँ	हाँ
6.	पासपोर्ट	06	हाँ	हाँ
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हाँ	हाँ
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरडीजीएस) जॉब कार्ड	08	हाँ	हाँ
9.	जाति या निवास प्रमाण-पत्र जिस पर व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	09	हाँ	हाँ
10.	पहचान/पते का प्रमाण-पत्र, जिस पर किसी सांसद या विधायक या निगम पार्षद या किसी गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर हों, जैसा कि फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक ए में बताया गया है।	10	हाँ	हाँ
11.	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक बी के अनुसार नियोक्ता का प्रमाण-पत्र	11	हाँ	हाँ
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो लगा हो	12	हाँ	नहीं
13.	शस्त्र का लाइसेंस	13	हाँ	नहीं
14.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना/पूर्व-सैनिक योगदानकारी स्वास्थ्य योजना पत्रक	14	हाँ	नहीं
15.	शासन/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हाँ	नहीं
16.	बिजली का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	16	नहीं	हाँ
17.	लैंडलाइन टेलीफोन का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	17	नहीं	हाँ
18.	पानी का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	18	नहीं	हाँ
19.	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइप गैस बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	19	नहीं	हाँ
20.	बैंक खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	20	नहीं	हाँ
21.	क्रेडिट कार्ड खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	21	नहीं	हाँ
22.	डिपॉजिटरी खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	22	नहीं	हाँ
23.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हाँ
24.	शासन की ओर से आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
25.	जीवनसाथी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हाँ
26.	संपत्ति कर भुगतान प्राप्ति (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)	26	नहीं	हाँ
बी	व्यक्तियों के संगठन (न्यासों) के लिए			
	न्यास अनुबंध की प्रति या पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति जो चेरिटी कमिश्नर द्वारा जारी हो	27	हाँ	हाँ
सी	व्यक्तियों के संगठन (न्यास के अतिरिक्त) या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति			
	चेरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति या अनुबंध की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो किसी केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग से मिला हो, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान एवं उसके पते को प्रमाणित करे।	28	हाँ	हाँ

(2) किसी अवयस्क के नाम से लेनदेन होने की स्थिति में, ऐसे अवयस्क के किसी अभिभावक/संरक्षक की पहचान एवं पते के साक्ष्य के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी को भी अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान एवं पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा पर अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(3) एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के कर्ता के नाम से कोई दस्तावेज आवश्यक है।

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से लेनदेन होने के मामले में, व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख क्र. 14 में होना चाहिए और लेनदेन की कुल राशि क्र. 13 में दर्ज की जानी चाहिए।

कॉलम 19बी में अनुमानित कुल आय कर के लिए भारत अधिकतम राशि से अधिक होने के मामले में, व्यक्ति के लिए पैन हेतु आवेदन करना, मद 18 को पूर्ण करना एवं आवेदन जमा करने का साक्ष्य देना आवश्यक है।